भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 718 का उत्तर

यात्री किराए में संशोधन

718. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:
श्री तनुज पुनिया:
कु. सुधा आर.:
श्री वी. के. श्रीकंदन:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:
श्री के. राधाकृष्णन:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यात्री किराये/सुपरफास्ट शुल्क, आरक्षण शुल्क और अन्य आनुषंगिक शुल्कों में दो संशोधन किए हैं और यदि हाँ, तो उन तारीखों, ट्रेनों की श्रेणियों और यात्रा की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिन पर प्रत्येक संशोधन लागू हुआ, साथ ही ऐसी वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ख) इन किराया संशोधनों से प्रभावित स्टेशनों और सेवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूसरे संशोधन को लागू करने से पहले यात्रियों, विशेष रूप से दैनिक यात्रियों, निम्न और मध्यम आय वाले यात्रियों/लंबी दूरी के यात्रियों, विद्यार्थियों और प्रवासी श्रमिकों/श्रमिकों, परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों पर कई बार किराया वृद्धि के संचयी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार उन यात्रियों, जो दो बार बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, की सेवा में बाधा डाले बिना प्रणाली को संशोधित करने की क्या योजना बना रही है;

(ङ) क्या ऐसी किराया वृद्धि ने यात्री यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यात्रियों को परिवहन के अन्य साधनों की ओर स्थानांतरित कर दिया है;

(च) इस किराया वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे द्वारा कुल कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है;

(छ) आम यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्र किए गए अतिरिक्त राजस्व से बेहतर सुरक्षा, समयपालन और यात्री सुविधाएं सुनिश्चित हों, क्या कदम प्रस्तावित हैं; और

(ज) क्या रेलवे की स्थिति खराब होने के कारण रेलवे को ट्रेन किराया बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): भारतीय रेल 720 करोड़ से अधिक यात्रियों को किफायती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारतीय रेल के किराए विश्व के सबसे कम किरायों में शामिल है, यहां तक कि पड़ोसी देशों की तुलना में भी।

वित्त वर्ष 2023-24 में यात्रियों की यात्रा पर दी गई कुल सब्सिडी राशि अनंतिम रूप से 60,466 करोड़ रुपये होने का अनुमानित है। यह राशि यात्रियों की यात्रा की लागत की 45% सब्सिडी के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा उपलब्ध कराने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत मात्र 55 रुपये है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि से आगे दिव्यांगजनों की कई कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और विद्यार्थियों की 8 कोटियों के लिए रियायतें जारी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेल ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद यात्री किरायों के दो युक्तीकरण किए हैं। ये संशोधन लागू श्रेणियों में सर्वत्र एकरूप और अंशाकित विधि से किए गए हैं। पहला युक्तीकरण 01.07.2025 से कार्यान्वित किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

i. द्वितीय श्रेणी साधारण के किराए में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं, और उसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराए में आधे पैसे की वृद्धि।
ii. शयनयान श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराये में आधे पैसे की वृद्धि।
iii. मेल/एक्सप्रेस में अवातानुकूल श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि।
iv. आरक्षित वातानुकूल श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की वृद्धि।

द्वितीय युक्तीकरण 26.12.2025 कार्यान्वित किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

i) 215 किलोमीटर तक द्वितीय श्रेणी साधारण में कोई वृद्धि नहीं और इसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि।
ii) शयनयान श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि।
iii) मेल/एक्सप्रेस में अवातानुकूल श्रेणी में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की वृद्धि।
iv) आरक्षित वातानुकूल श्रेणी में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की वृद्धि।

प्रमुख रेलगाड़ी सेवाओं के, जिसमें तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, हमसफ़र, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण अनुपनगरीय सेवाएँ (जहाँ लागू हो, वातानुकूल मेमू/डीईमू को छोड़कर) शामिल हैं, मौजूदा आधार किराए को अनुमोदित श्रेणी-वार आधार किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है।

आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य सहायक शुल्क बढ़ाए नहीं गए हैं। निम्नतर और मध्य आय वर्ग के परिवारों के लिए सामर्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से उपनगरीय सेवाओं और सीज़न टिकटों के लिए, जिनमें उपनगरीय और अनुपनगरीय मार्ग दोनों शामिल हैं, किराए में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

किराया संशोधन का कुल सब्सिडी की राशि पर नगण्य प्रभाव होने की संभावना है क्योंकि यह संशोधन यात्रा के प्रत्येक किलोमीटर पर मात्र आधे पैसे से 2 पैसे तक है। अनुमान है कि आधे से भी कम यात्राओं में किराए में मामूली वृद्धि होगी। दोनों अवसरों पर किराए में वृद्धि बहुत कम थी और यह परिचालनिक सतत-संपोषणीयता को बनाए रखते हुए यात्रियों की सामर्थ्य को संतुलित करने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अमृत भारत स्टेशन योजना जैसी योजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन।
- आधुनिक रेलगाड़ियों को शुरू करना, जैसे वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत, अवातानुकूल अमृत भारत रेलगाड़ियां और नमो भारत रैपिड रेलगाड़ियां आदि, ताकि यात्रियों के अनुभव, स्वच्छता और ऑनबोर्ड सेवाएँ बेहतर बन सकें।
- रेल मदद के माध्यम से संवर्धित निगरानी और फीडबैक तंत्र।

- **डिजिटल पहलों का कार्यान्वयन जैसे रेल वन ऐप, मोबाइल ऐप पर यूपीटीएस आदि।**

उपरोक्त उपाय अधिक यात्री संतुष्टि में परिणत हुए हैं। परिचालन दक्षता, आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर फोकस के साथ भारतीय रेल सेवा का लक्ष्य सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते और सतत-संपोषणीयता को सुनिश्चित करते हुए किफायती यात्री किरायों को बनाए रखना है।

******